

न्यायालय ब्रीमान् संस्थ महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल गवा लियर रविचं रोबा

म०प्र०

निगरानी प्रकरण ब्रमांक /2013

568  
23-9-13

R- 6100 - 1113



टिक्ट उपलब्ध  
कीटे होते हैं  
उत्तम अधिकारी

अधिकारी श्री परोश कुमार  
दाता एक्टुर्नी  
रोबा, दि. 23.9.13 श्रीमती माधुरी शुक्ला पत्नी वृजन्द्र प्रसाद शुक्ला साक्षि चंदिया, तहसील चंदिया  
ज़िला उमरिया म०प्र०

आवेदिका

### विरुद्ध

कल्व आफ कोई भी खुलाहू तनय रासखाय लाहू सा० नरियरा: चुनिया? तहसील न्याया  
राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर  
(साकेट कोटी) रोबा उमरिया ज़िला उमरिया म०प्र० अवेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार

महोदय, चंदिया ज़िला उमरिया दिनांक

03-12-13 03-11-12

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता

सन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

- 1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि स्वम प्रक्रिया के विपरीत है।
- 2- यहकि अधीनस्थ न्यायालयने अा० द्वारा सीमांकन का मामला दायर करने पर तहसीलदार ने पाया कि अा० की मूमि नक्शे मे पृथक नहीं हैं, लिहाजा नक्शा तरीम करने के पश्चात ही सीमांकन के आदेश दिया गया प्रान्त नक्शा तरीम की वैधानिक कायबाही किये गये होंगे

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4100—तीन / 2013

जिला उमरिया

माधुरी विरुद्ध भीखू साहू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-2-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री यागेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार चंदिया जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक ५८९/अ-१२/२०११-१२ में पारित आदेश दिनांक ०३-११-२०१२ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 12-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।</p> <p>(3)</p>	<p>12-04-2019 (आरोक्त जैन) सदृश्य</p>